(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
नानूलाल बनाम रामफूल वगै0
किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 79 सन् 2021

Hons
2021 | 138

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
3.21	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 3958/1 रकबा 1.0622 हैक्ट. व ख0न0 3985 रकबा 0.5058 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार अभिधारी है और आराजी पर काबिज होकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के परिवार के सदस्य ही है और इसी नाते अप्रार्थीगण एकराय, एकजुट होकर प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर उसमें जबरन हिस्सों की मांग कर रहे हैं जबकि अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि अलग है और प्रार्थी के हिस्से की भूमि अलग है अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात को काश्त करने एवं आराजी में प्रवेश करने से रोक रहे है तथा प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। हमने बहस प्रार्थी एक तरफा सुनी। दौराने बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 3958/1 रकबा 1.0622 हैक्ट. व ख0न0 3985 रकबा 0.5058 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार अभिधारी है और आराजी पर काबिज होकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के परिवार के सदस्य ही है और इसी नाते अप्रार्थीगण एकराय, एकजुट होकर प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर उसमें जबरन हिस्सों की मांग कर रहे हैं जबकि अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि अलग है और प्रार्थी के हिस्से की भूमि अलग है अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात को काश्त करने एवं आराजी में प्रवेश करने से रोक रहे है तथा प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।	2257-62 19.03.21

अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली के अनुसार जमाबंदी अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी का खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वे वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करे तथा प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजीयात से बेदखल नहीं करे। उक्त वर्णित आराजीयात की यथास्थिति बनाये रखें यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि को उपस्थित होकर उज्र पेश करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 10.09.2021 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू

10/9/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता श्री रामधन जोशी ने प्रतिपक्षी सं. की ओर से [illegible] U.T. दी। पत्रावली वास्ते पेश करने वकालतनामा हेतु दिनांक 22.09.2021 को पेश हो।

22/9/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता श्री रामधन जोशी प्रतिपक्षी संख्या 02 व 05 की ओर से वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 06.10.2021 को पेश हो।

06/10/21 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। मूल वाद में प्रा.पत्र 151 CPC वास्ते कन्सोलिडेट किये जाने वाद पत्र स्वीकार होने से मामला मूल वाद उन्मानी रामफूल बनाम नानूलाल प्रकरण संख्या 40/2021 के साथ संलग्न की जा चुकी है। अतः प्रा.पत्र उन्मानी नानूलाल बनाम रामफूल

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम
बनाम
किस्म मुकदमा
सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रकरण संख्या 39/2021 को प्रा.पत्र उन्मानी रामफूल बनाम नानूलाल प्रकरण संख्या 30/2021 के साथ संलग्न किया जाता है।	